

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा I) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम
(प्रशिक्षण केन्द्र)
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT I)
KERALA, THIRUVANANTHAPURAM
(TRAINING CENTRE)

सं.ले.प/प्रशिक्षण/11-100/2022-23/
No.Au/Trg/11-100/2022-23/

दिनांक: 15 दिसम्बर 2022
Date: 15 December 2022

अनुभागीय आदेश सं./SECTIONAL ORDER NO. 276

दिनांक 13 दिसम्बर 2022 के अनुभागीय आदेश सं. 274 में आंशिक संशोधन करते हुए, सुश्री पूनम कुशवाह, लेखा परीक्षक को शामिल और श्री रजनीश कुमार, लेखा परीक्षक को 19 दिसंबर 2022 से 03 जनवरी 2023 तक हमारे कार्यालयीन प्रशिक्षण केन्द्र में आयोजित किए जाने वाले प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम से छूट दी गई है। अधिकारी को 19 दिसंबर 2022 को लेक्चर हॉल में सुबह 9.45 बजे प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करना है।

In partial modification to SO No.274 dated 13 December 2022, Ms. Poonam Kushwah, Auditor/Bills (Au I) is included and Shri Rajnish Kumar, Auditor/PAG Sectt. (Au II) is exempted from the induction training to be conducted at our in-house training centre from 19 December 2022 to 03 January 2023. The official is to report for training at 9.45am on 19 December 2022 at Lecture Hall.

प्रतिभागी अपनी आधिकारिक ईमेल आईडी का उपयोग करके साई प्रशिक्षण पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण और प्रतिक्रिया प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। अधिकारी को साई प्रशिक्षण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रभाव मूल्यांकन को पूरा करने के लिए भी सूचित किया जाता है जिसे प्रशिक्षण के अंतिम दिन से 3 महीने पूरा होने की तिथि पर 20 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना है।

The participant may complete the registration and feedback process through SAI Training Portal using their Official email IDs. The official is also informed to complete the online impact assessment through SAI Training Portal which is to be submitted within 20 days on date of completion of 3 months from the last day of Training.

(वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन) के दिनांक 15 दिसम्बर 2022 के आदेशानुसार)

ह. Sd/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशिक्षण
Senior Audit Officer/Training

प्रतिलिपि:-

1.	अनुभागीय आदेश बुक/सूचना पट्ट	4.	व.अ.प.ले./प्रशा., रोकड, हक्र .प.ले)-I)/(ले.प.-II)
2.	संबंधित अधिकारी	5.	प्र.म.ले. (ले.प.-I)/(ले.प.-II) के सचिव/निजी सचिव
3.	संबंधित समूह अधिकारी	6.	सी सेल/आईटी समर्थन कक्ष/हिन्दी कक्ष/सामान्य कक्ष/पी ए ओ/ आई ए